1. सत्ता का स्त्रोत
2. संविधान के आदर्श एवं उद्देश्य
3. शासन प्रणाली का स्वरूप

सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न → समस्त निर्णय लेने की स्वतंत्रता, बिना किसी भीतरी और बाहरी दबाव के।

समाजवादी → आर्थिक समानता
सामाजिक न्याय
लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया गया है।

4. लागू होने की तिथि -

पूर्णत: निर्मित = 26 नवम्बर 1949

पूर्णत: लागू = 26 जनवरी 1950

तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी

पंथनिरपेक्ष = ऐसा देश जिसका कोई राजकीय धर्म न हो,
सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करो
जहां सभी धर्म के अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी हो।

लोकतंत्रात्मक = जनता का शासन

गणराज्य = ऐसा देश जहां पर राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है (वंशानुगत नहीं होता है।)

प्रस्तावना में संशोधन = केवल एक बार संशोधन हुआ है।

42 वां संविधान संशोधन 1976

4 नए शब्द जोड़े गये।

समाजवादी

पंथनिरपेक्ष

और अखण्डता।

प्रस्तावना से सम्बन्धित कथन -

प्रस्तावना - संविधान की कुंजी / आभूषण / आत्मा है - ठाकुर दास भार्गव

प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है - एन पालकीवाला

प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है - अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर

प्रस्तावना = संविधान निर्माण
क्रम में सबसे बाद में
निर्मित किया गया।

संविधान में सबसे प्रारम्भ

संविधान = २२ भाग
३७९ अनुच्छेद
१२ अनुसूचियां

प्रस्तावना से सम्बंधित केस -

बेरुबारी मामला 1960 :-

प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।

केशवानंद भारती 1973.

प्रस्तावना संविधान का अंग है, और इसमें संशोधन किया जा सकता है।

प्रस्तावना – वादयोग्य
न्याययोग्य
प्रवर्तनीय है?

Justiciable
enforceable

NO

संविधान का स्रोत

संविधान की विशेषताएँ

प्रस्तावना

भाग-1 "भारत संघ और इसका राज्यक्षेत्र" (1-4)

अनु. 1(1). इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा।

भारत राज्यों का एक संघ है। वह विभिन्न राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है।

भारत संघ से अलग होने का किसी राज्य को कोई अधिकार नहीं है।

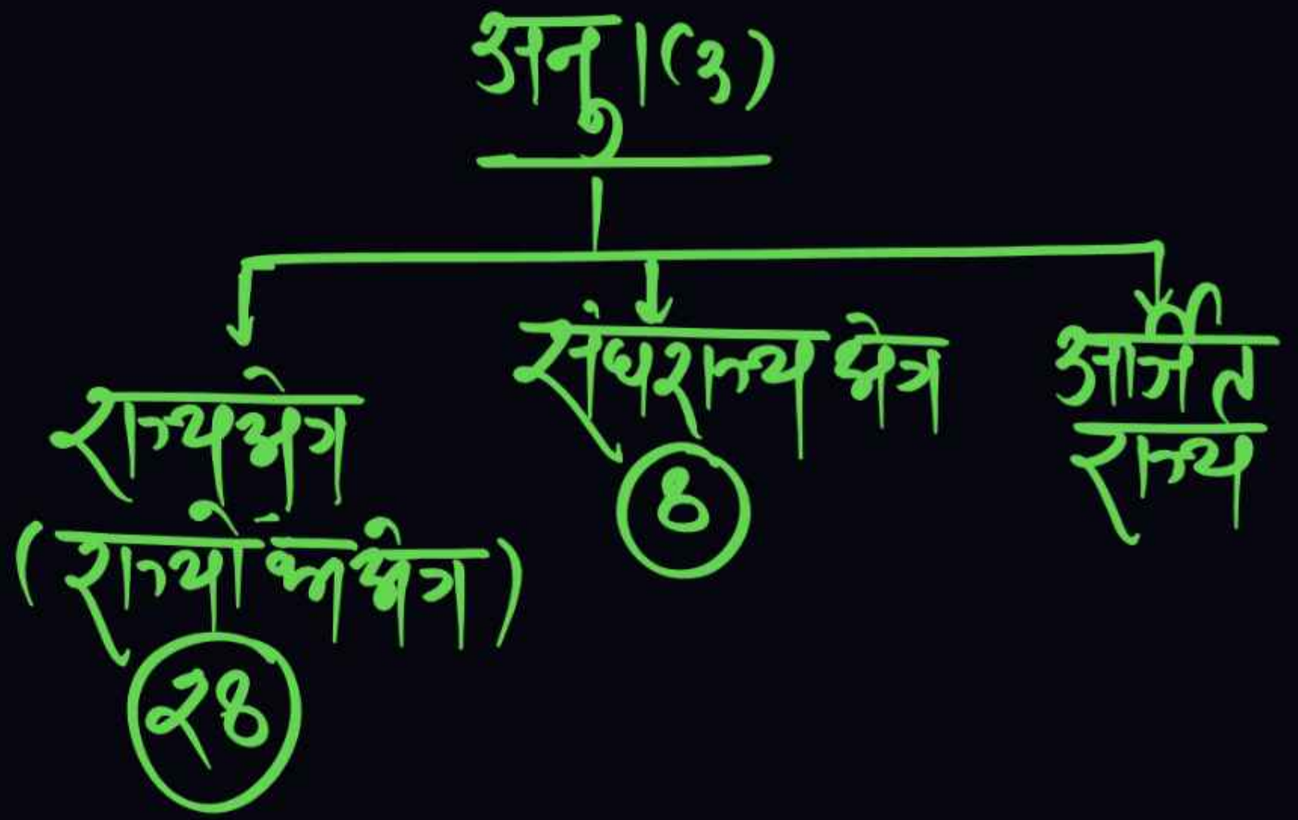
अनु।(3)
राज्यक्षेत्र
(राज्यों का क्षेत्र)
28
संघराज्य क्षेत्र
8
अर्जित राज्य